भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1073
बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

अतिरिक्त रोजगारों का सृजन

1073. श्री राजमणि पटेलः
डा॰ अमी याज्ञिकः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, विशेष रूप से शिक्षित युवकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विगत दो वर्षों और चालू वर्ष में नौकरी प्रदान की गई;

(ख) देश में शिक्षित और अशिक्षित युवकों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु तैयार की गई योजनाओं का और उक्त अवधि के दौरान निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी कम वेतन वाली नौकरियाँ कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ठोस उपाय किए गए/किए जा रहे हैं, जिसमें सीमांत श्रमिकों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपाय भी शामिल हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर उपलब्ध सीमा तक क्रमशः 43.3% और 11.5% थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख एवं ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 तक 12,000 करोड़ परिव्यय से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 11.11.2019 को पीएमकेवीवाई के तहत देश में 69.03 लाख (लगभग) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर का उपलब्ध सीमा 2017-18 (पीएलएफएस) तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्ति	
		कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)	बेरोजगारी दर (% में)
1	आंध्र प्रदेश	48.6	14.6
2	अरुणाचल प्रदेश	40.1	12.0
3	असम	42.6	14.7
4	बिहार	36.2	9.6
5	छत्तीसगढ़	48.7	7.1
6	दिल्ली	45.0	5.4
7	गोवा	50.6	12.8
8	गुजरात	47.8	10.2
9	हरियाणा	45.4	14.2
10	हिमाचल प्रदेश	58.4	9.5
11	जम्मू और कश्मीर	47.9	10.0
12	झारखंड	41.5	13.8
13	कर्नाटक	47.6	9.8
14	केरल	40.7	18.6
15	मध्य प्रदेश	47.5	7.0
16	महाराष्ट्र	51.1	7.2
17	मणिपुर	44.9	19.3
18	मेघालय	52.1	3.5
19	मिजोरम	45.4	12.3
20	नागालैंड	34.1	31.8
21	ओडिशा	37.2	17.1
22	पंजाब	39.5	12.7
23	राजस्थान	41.3	11.2
24	सिक्किम	61.9	7.4
25	तमिलनाडु	42.5	20.3
26	तेलंगाना	44.2	16.2
27	त्रिपुरा	40.5	11.3
28	उत्तराखंड	41.4	12.8
29	उत्तर प्रदेश	40.3	9.8
30	पश्चिम बंगाल	41.7	8.4
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	47.8	27.5
32	चंडीगढ़	47.8	5.7
33	दादर और नगर	73.3	2.3
34	दमन और दीव	58.6	12.8
35	लक्षद्वीप	61.5	7.9
36	पुडुचेरी	29.4	18.7
	अखिल भारत	**43.3**	**11.5**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय